भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2205

(जिसका उत्तर सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है)

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर में छूट

2205. श्री राजा अमरेश्वर नाईकरः
श्री विनोद कुमार सोनकरः
श्री राजवीर सिहं (राजू भैय्या)
डॉ जयंत कुमार रायः
श्री भोला सिंहः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
डॉ. सुकान्त मजूमदारः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने से छूट देने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उनके पास पेंशन आय के अलावा केवल पेंशनर्स ब्याज आय हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विभिन्न भविष्य निधि योजनाओं से कर्मचारियों द्वारा 2.5 लाख रू. तक के योगदान पर अर्जित आय तक ही कर छूट देने की सीमा तय करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्य है;

(ग) क्या सरकार का आयकर अपीलीय अधिकरण को फेसलेस और क्षेत्राधिकार रहित बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का एक राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय अधिकरण केंद्र स्थापित करने का विचार है;

(ड़) यदि हां, तो क्या अधिकरण और अपीलकर्ता के बीच सभी पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाएंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) 75 वर्ष या उससे ऊपर के उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए वित्त विधेयक, 2021 में यह प्रस्तावित किया जाता है कि आयकर विवरणी भरने में रियायत दी जा सकती है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हो:-

(i) पूर्व वर्ष के दौरान वरिष्ठ नागरिक भारत का नागरिक हो तथा 75 वर्ष या उससे अधिक हो;

(ii) उसके पास पेंशन आय के अतिरिक्त और कोई आय नहीं हो। तथापि, इस पेंशन आय के अतिरिक्त ब्याज आय, जिस बैंक में उनका पेंशन आय आती हो, भी हो सकती है ;

(iii) इस बैंक को एक निर्दिष्ट बैंक होना आवश्यक है। सरकार कुछ बैंकों को अधिसूचित करेगी, जो कि बैंकिंग कंपनी हैं, निर्दिष्ट बैंक हैं; और

(iv) उसे निर्दिष्ट बैंक को आवश्यक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। उस घोषणा में ऐसा ब्यौरा इस प्रकार तथा इस प्रकार से सत्यापित किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया गया हो।

एक बार घोषणा पत्र भरने के बाद, संगत वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 87ए के अधीन स्वीकार्य छूट तथा अध्याय VI-ए के अधीन जितनी कटौती अनुमेय है, करने के बाद निर्दिष्ट बैंक ऐसे वरिष्ठ नागरिक की आय की गणना करेगा और जो दर प्रचलन में है उसके अनुसार आयकर की कटौती करेगा। एक बार यह होने के पश्चात् इस निर्धारण वर्ष के लिए वरिष्ठ नागरिक को आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।।
यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

(ख) वित्त विधेयक, 2021 में यह प्रस्ताव किया गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के उपवाक्य (11) और उपवाक्य (12) में परंतुक को जोड़ा जाए जिससे कि इन उपवाक्यों के प्रावधान व्यक्ति के पिछले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज से होने वाली आय पर उस सीमा तक लागू न हों जिस सीमा तक ये ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अंशदान की राशि या कुल राशि जो कि पिछले वर्ष या 1 अप्रैल, 2021 को उक्त कोष में दिए गए 2 लाख 50 हजार रूपए से अधिक हो, संबंधित होता है और इसकी गणना सरकार के द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से की गई हो।

(ग),(घ)(ड) और (च) वित्त विधेयक, 2021 में आई.टी.ए.टी द्वारा अपील के निपटान के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव दिया गया है ताकि निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और द्वारा जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके , -

(i) आईटीएटी और पार्टियों के बीच की कार्यवाही के दौरान अपील करने के लिए जहां तक संभव हो, तकनीकी रूप से इंटरफ़ेस को समाप्त करना;
(ii) आर्थिक स्थिति और प्रकार्यात्मक विशिष्टता के माध्यम से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग;
(iii) गतिशील क्षेत्राधिकार के साथ एक अपीलीय प्रणाली शुरू करना। यह भी प्रस्तावित है कि केंद्र सरकार को सशक्त बनाने के लिए, प्रस्तावित उप-धारा के तहत बनी योजना को प्रभावी करने के लिए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के लिए, यह निर्देश देने के लिए कि इस अधिनियम के कोई भी प्रावधान लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, संशोधनों और अनुकूलन के साथ लागू होंगे जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। इस तरह के निर्देश 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले जारी किए जाने हैं। यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक अधिसूचना को, अधिसूचना जारी होने के बाद जल्द से जल्द संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाए।

यद्यपि इस विधेयक को संसद द्वारा वित्त विधेयक पारित किए जाने के बाद अधिसूचित किया जाएगा , लेकिन यह प्रस्तावित है कि उक्त योजना के तहत एक राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय प्राधिकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उक्त योजना के अंतर्गत,प्राधिकरण और अपीलकर्ता के बीच संचार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाने का प्रस्ताव है । हालांकि, व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी जा सकती है, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

******